कार्यालय, अपर श्रम आयुक्त, गौतमबुद्धनगर

प्रेस नोट

कृपया अवगत कराना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत शासन द्वारा विभिन्न नियोजनों के लिए निर्धारित वर्तमान समय में लागू मजदूरी दरें निम्नवत हैं।

नियोजन	मजदूरी दरो की अवधि	श्रेणी	मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	कुल मासिक मजदूरी	कुल दैनिक मजदूरी
74 नियोजन	दिनाक 01.04. 2025 से 30.09. 2025	अकुशल	5750	5244	10994	423
		अर्द्ध कुशल	6325	5769	12094	465
		कुशल	7085	6462	13547	521
10 से कम कर्मचारियों वाले होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट	दिनांक 01.04. 2025 से 30.09. 2025	अकुशल	6350	4623	10973	422
		अर्द्ध कुशल	7000	5096	12096	465
		कुशल	7840	5708	13548	521
10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट	दिनांक 01.04. 2025 से 30.09. 2025	अकुशल	6730	4900	11630	447
		अर्द्ध कुशल	7420	5402	12822	493
		कुशल	8310	5598	13908	535
		अति कुशल	8975	6534	15509	597
स्टार होटल	दिनांक 01.04. 2025 से 30.09. 2025	अकुशल	7540	5489	13029	501
		अर्द्ध कुशल	8980	6538	15518	597
		कुशल	10640	7746	18386	707
		अति कुशल	12565	9148	21713	835
50 से 500 कर्मचारियों वाले इन्जीनियरिंग उद्योग	दि0 01.02.2025 से 31.08.2025 तक	अकुशल	7440	5417	12857	494
		अर्द्ध कुशल	8170	5948	14118	543
		कुशल	9070	6603	15673	603
500 से अधिक कर्मचारियों वाले इन्जीनियरिंग उद्योग	दि0 01.02.2025 से 31.08.2025 तक	अकुशल	7800	5679	13479	518
		अर्द्ध कुशल	8580	6247	14827	570
		कुशल	9360	6814	16174	622
ईट भट्ठा मे नियोजन	दिनांक 01.04. 2025 से 30.09. 2025	अकुशल	5750	5244	10994	423
		कुशल	7085	6462	13547	521
			पथेरा	भराईवाला – 500 मीटर तक	भराई वाला 500 मीटर से अधिक	निकासी वाला
		प्रति हजार	698	210	252	210

मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गई है उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम नहीं होगी तथा प्रति घण्टे की मजदूरी दर दैनिक मजदूरी दर की 1/6 से कम नही होगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 22 की उपधारा (ए) के अनुसार किसी भी मजदूर/कर्मचारी को उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भुगतान किया जाना दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अधिकतम छः माह का कारावास या पांच सौ रूपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा साथ ही विहित प्राधिकारी के समक्ष वाद योजित किये जाने पर सम्बन्धित मजदूरो/कर्मचारियो को, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की गई बकाया मजदूरी की धनराशि अधिकतम दस गुना क्षतिपूर्ति के साथ सेवायोजक से वसूली कराकर सम्बन्धित मजदूरो/कर्मचारियो को दिलाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

(सरजू राम शर्मा)
अपर श्रम आयुक्त,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक – 8037-38 /गौ0प्रवर्तन–2024 दिनांक 29 सितम्बर 2024

उपरोक्त की प्रतिलिपि

1. सहायक श्रमायुक्त तथा सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया जनपद के लब्धप्रतिष्ठ समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उपरोक्त जानकारी जन सामान्य को प्रदान करने हेतु निःशुल्क प्रकाशित/प्रचारित कराने का कष्ट करें।

(सरजू राम शर्मा)
अपर श्रम आयुक्त,
गौतमबुद्धनगर